## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(53)

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
**सदस्य**

निगरानी प्रकरण कमांक 2100–पांच/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–10–2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 80/अ–70/99–2000.

.....

रामदास तनय अयोध्या प्रसाद नट
उम्र 82 वर्ष निवासी राजनगर जिला छतरपुर म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 भागचन्द्र पिता सुन्दरलाल माली
2 रामप्रसाद पिता गोपालचन्द्र माली
3 मुस0 बसन्ती बेवा गोपीचन्द्र माली
समस्त निवासी ग्राम राजनगर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0 प्र0
4 राज्य शासन म0 प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभिभाषक, आवेदक
श्री पी0 सी0 मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

**:: आ दे श ::**

( आज दिनांक 17.09.2015 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–10–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक रामदास नागर की मृत्यु दिनांक 23–9–2009 को मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 10–8–2015 के अनुसार हुई, जो कि अनावेदक द्वारा दिया गया है । आवेदक के उत्तराधिकारियों द्वारा उनकी मृत्यु के संबंध में न्यायालय को सूचना नहीं दी गई । अनावेदक के अभिभाषक द्वारा आवेदक की मृत्यु के संबंध में 4–9–14 और उसके बाद 7–10–14 को इस न्यायालय के अभिलेख के अनुसार सूचना दी गई, जो इस न्यायालय में आदेशिका में दर्ज है । इसके बाद 23–12–14 को राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया कि आवेदक अपने वारिसान की सूची प्रस्तुत करें । दिनांक 30–3–15 को आवेदक ने धारा 32 के अंतर्गत अपना आवेदन लगाया, जो तर्क के लिये दिनांक 3–7–15, 10–7–15 एवं 6–8–15 को नियत रहा । दिनांक 6–8–15 को आवेदक के अभिभाषक द्वारा आवेदक की मृत्यु एवं वारिसान रिकार्ड पर लिये जाने संबंधी आवेदन दिया जाना आदेश पत्रिका पर रिकार्डेड है । हालाकि इस आवेदन में आवेदक की मृत्यु के दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत यह आवेदन रिकार्ड पर है एवं यह देखा गया कि इस आवेदन में प्रस्तुतीकरण की किसी दिनांक का कोई उल्लेख नहीं है । यह स्पष्ट है कि आवेदक पक्ष द्वारा मृत्यु दिनांक एवं इस आवेदन के प्रस्तुतीकरण के दिनांक को स्पष्टतः नहीं बतलाने का प्रयास इस आवेदन को देते समय किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त इस आवेदन में (जो आवेदक के उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लिये जाने के संबंध में है) विलंब के किन्ही भी कारणों का कोई उल्लेख नहीं है । मृत्यु दिनांक 23–9–2009 से आवेदक के उपस्थित होने के दिनांक 10–7–15 के मध्य 5 वर्ष 9 महिने 18 दिन का समय हुआ है तथा इस विलंब के लिये कोई कारण नहीं बताया गया । हालाकि आवेदक के अभिभाषक निरंतर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहे है । इस बिन्दु पर अनावेदक के अभिभाषक ने अपनी आपत्ति भी प्रस्तुत की है तथा न्यायालय को यह बिन्दु धारा 32 के अंतर्गत विचार करने के लिये लिखित तर्क किया है ।

3/ मेरे द्वारा प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा तथ्यों को देखा गया । अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 19–10–2000 काफी डिटेल तथा

बोलता हुआ आदेश है । प्रकरण के तथ्य संक्षिप्तः इस प्रकार है कि 1990 के सीमाकंन के बाद विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा पाया गया था, जिसके उपरान्त उसने यह कब्जा छोडा । 1998 में आवेदक द्वारा विवादित भूमि पर पुनः अवैध कब्जा किया गया, जिसके बाद अनावेदक द्वारा अगस्त 1998 में सीमाकंन कराया गया एवं अनावेदक द्वारा सितम्बर 98 में आवेदक का अवैध कब्जा हटाने के संबंध में तहसीलदार के समक्ष लगाया गया । आवेदक पक्ष द्वारा विवादित भूमि पर अपना कब्जा निरंतर रखने का प्रयास किया गया है, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 31–8–99 एवं अपर आयुक्त द्वारा 19–10–2000 को आदेश पारित किये गये हैं । आवेदक राजस्व मण्डल में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 19–10–2000 के विरूद्ध आये है तथा यह प्रकरण एक बार 1–5–03 को राजस्व मण्डल द्वारा अदम पैरवी में खारिज किया गया था तथा जिसके 38 माह बाद 14–7–2006 को इसे रेस्टोर किया गया । इसके बाद 13–8–2008 से आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहे है । अनावेदक कमांक 2 के अधिवक्ता श्री पी0 सी0 मिश्रा इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहे है । शेष अनावेदक को सूचना होना बाकी है । यह प्रकरण शेष अनावेदक को सूचना एवं शेष रिकार्ड बुलाने के लिये 30–3–2009 से 7–11–14 तक लगभग 28 पेशी तक चला । जब 7–11–14 को अनावेदक के अभिभाषक द्वारा न्यायालय को आवेदक की मृत्यु के संबंध में बताया गया ।

4/ इस संबंध में (पक्षकार की मृत्यु) –सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 22 तथा परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 120 में इस संबंध में उपबंध है । यदि ये उपबंध प्रकिया से संबंधित माने जाये तब वे भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत कार्यवाहियों से भी धारा 43 के अनुसार यथा संभव लागू किये जायेंगे । परन्तु ये उपबंध तभी लागू होंगे जब कोई पक्षकार अपील प्रस्तुत करने के पश्चात मर जाये । यदि प्रमाणित प्रतिलिपि या अभिलेख की गलती के कारण अथवा दूसरे पक्ष के अपव्यवहार से ऐसी भूल हुई है तब विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने में परिसीमा का प्रश्न नहीं उठता । विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाने का

आवेदन समय वर्जित होने की दशा में अपील उपश्रमित हो जायेगी । यदि विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने का आवेदन विलंब से किया गया हो और विलंब असदभाव से न हो तब अवधि बढाने का आवेदन किये बिना ही आवेदन मंजूर किया जा सकता है और अपील उपश्रमित नहीं होगी । परन्तु ऐसी भूल प्रमाद अथवा असावधानी के कारण हुई है, तब परिसीमा का प्रश्न विचारणीय होगा ।

5/ उपरोक्त के प्रकाश में यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में 5–6 वर्ष का अत्यधिक विलंब आवेदक की मृत्यु की सूचना न्यायालय में देने में हुआ है, जिसके विलंब का कोई ठोस एवं स्पष्ट कारण आवेदक पक्ष द्वारा न्यायालय को नहीं बताया गया । इस विलंब को लेकर अनावेदक पक्ष द्वारा आपत्ति उठाई गई है । मेरे द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 19–10–2000 का अवलोकन किया गया एवं यह पाया गया कि वह काफी डिटेल एवं बोलता हुआ आदेश है। साथ ही मेरे द्वारा तहसील न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख को भी देखा गया । इन सब के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि इस प्रकरण को इस न्यायालय में आगे बढाया जाना उपयुक्त नहीं है । उपरोक्त वर्णित प्रावधान के परिणामस्वरूप आवेदक के वारिसानों को अभिलेख पर लाने में अप्रत्याशित विलंब हुआ है, जो उचित नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रकरण उपश्रमित होने योग्य है । धारा 32 का आवेदन अस्वीकार किया जाता है । प्रकरण उपश्रमित होने के कारण समाप्त किया जाता है ।

17.9.2015

**( आशीष श्रीवास्तव)**
**सदस्य**
**राजस्व मण्डल,म0प्र0**
**ग्वालियर**